

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-49/2014

संस्थित दिनांक-22.01.2014

फाईलिंग नं.-234503000622014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

लूरनदास पिता मेहतर डोंगरे उम्र 56 साल, जाति महार,
निवासी वार्ड नं. 4 कोसमी बालाजी नगर बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-24/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 506(भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-15.11.2013 को स्थान प्राथमिक शाला सिंगोड़ी थाना बैहर अन्तर्गत फरियादिया सन्तुराबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादिया सन्तुराबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया सन्तुराबाई ने थाना बैहर में दिनांक-11.01.2014 को यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम सिंगोड़ी में रहती है तथा प्राथमिक शाला सिंगोड़ी में खाना बनाने का काम करती है। दिनांक-15.11.2013 को आरोपी एल.डी. डोंगरे उसे उसकी नौकरी बचाने की बात को लेकर परेशान करता था और उसके सीने को दबाता था। उसे आरोपी धमकी देता था कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसकी बदनामी कर देगा। उसने घटना अपने पति संतलाल तथा सरपंच दलसिंह को बतायी थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-15/2014 अन्तर्गत धारा-354, 354घ, 506 भा.दं.वि. के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया था।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया सन्तुराबाई ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-15.11.2013 को स्थान प्राथमिक शाला सिंघोड़ी थाना बैहर अन्तर्गत फरियादिया सन्तुराबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादिया/पीड़िता सन्तुराबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके कथन से लगभग दो साल पहले प्राथमिक शाला सिंघोड़ी की है। वह खाना बनाने का काम करती थी। उसे ड्यूटी से निकाल दिया गया था, जिसके संबंध में उसने थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख कराई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल नहीं बताया था, किन्तु मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे और न ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया था। उसका आरोपी से स्वेच्छया बिना किसी डर दवाब के राजीनामा हो गया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपने रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में यह लेख कराया था कि आरोपी ने उसके साथ बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसका सीना दबाया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने रिपोर्ट उसके पति व सरपंच के कहे अनुसार लिखी थी उसने पुलिस

को रिपोर्ट नहीं लिखायी थी।

6— अभियोजन कहानी के विपरीत साक्षी सुनीता भोण्डेकर (अ.सा.4) तथा धन्नोबाई (अ.सा.2) ने कहा है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। फरियादी एवं आरोपी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी सुनीता भोण्डेकर (अ.सा.4) ने कहा है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिये थे। साक्षी धन्नोबाई (अ.सा.2) ने कहा है कि उसने पुलिस को बयान दिये थे। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित करने के पश्चात् सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस बात को अस्वीकार किया कि उन्हें घटना की जानकारी है।

7— साक्षी नरेन्द्रनाथ (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी एवं फरियादी को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। वह प्राथमिक शाला सिंघोड़ी में शिक्षक है, जहां सन्तुराबाई व धन्नोबाई रसोईये का कार्य करती है। उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसे फरियादी ने घटना के विषय में कुछ बताया। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 पुलिस को नहीं लेख करना व्यक्त किया।

8— प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506(भाग-2) में दोषमुक्त किया जा चुका है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 शमनीय न होने से निर्णय किया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अन्तर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में फरियादी सन्तुराबाई (अ.सा.3) ने कहा है कि आरोपी ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया। साक्षी ने स्पष्टतः कहा है कि आरोपी ने बुरी नियत से उसका सीना नहीं दबाया था। उसे ड्यूटी से निकाल दिया गया था तब विवाद होने पर उसने थाना बैहर में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शेष अभियोजन साक्षी धन्नोबाई (अ.सा.2), नरेन्द्रनाथ (अ.सा.1) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है जिससे की आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित हो। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। आरोपी को

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

बैहर
दिनांक-24.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)